Gram: UNIVERSITY
FAX: 0512-2570006
Web: www.kanpuruniversity.org

	OFF.	RESI.
V.C.	2570450	2570253
REGI.	2570301	2570882

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

कल्याणपुर, कानपुर
KALYANPUR, KANPUR

सन्दर्भ सं० सी.एस.जे.एम.वि.वि. / सम्ब. / 3016 / 2017 दिनांक : 30/05/2017

सेवा में,

प्रबन्धक,
आर०पी० स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
कमालगंज, फर्रुखाबाद।

विषयः परास्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत–रसायन विज्ञान एवं जन्तु विज्ञान विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु कार्य परिषद / उच्च स्तरीय सम्बद्धता समिति द्वारा इंगित कमियों / शर्तों की पूर्ति के सम्बन्ध में।

महोदय

कृपया उपर्युक्त के सम्बन्ध मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा–37(2) के अन्तर्गत उच्च स्तरीय सम्बद्धता समिति की अनुशंसा एवं कार्यपरिषद की अनुमति (30.05.2017) द्वारा आर०पी० स्नातकोत्तर महाविद्यालय कमालगंज, फर्रुखाबाद को परास्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत–रसायन विज्ञान एवं जन्तु विज्ञान विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत सत्र 2017–18 से सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु प्राप्त सम्बद्धता प्रस्ताव / निरीक्षण आख्या एवं संलग्न प्रपत्रों पर सम्यक विचारोपरान्त सम्बद्धता पूर्व निम्नांकित कमिया / शर्तें अवधारित की गयी है–

1. शैक्षिक सत्र 2016–17 के परीक्षाफल के अभाव में सत्र 2017–18 हेतु सम्बद्धता आदेश इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि सत्र 2016–17 का परीक्षाफल शासनादेश के अनुरूप (60 प्रतिशत उत्तीर्ण) होने की स्थिति में सत्र 2017–18 से सम्बद्धता के आदेश निर्गत किये जायेंगे।
2. संस्था / महाविद्यालय शासनादेश संख्या–2851 / सत्तर–2–2003–16(72) / 2002 दिनांक 02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
3. सम्बन्धित महाविद्यालय द्वारा कक्षा प्रारम्भ करने से पूर्व इंगित सभी कमियों एवं शर्तों का निराकरण करा लिया जायेगा तथा महाविद्यालय के सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने के पूर्व उपरोक्त कमियों की पूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालय द्वारा समयान्तर्गत विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा। तथा कुलसचिव को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान / महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
4. यदि संस्था / महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली / अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
5. विधि पाठ्यक्रमों में महाविद्यालय द्वारा द्वारा सम्बद्धता प्राप्त होने तथा बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही छात्रों के प्रवेश लिये जायेंगे।
6. विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित पाठ्यक्रम में सम्बद्धता आदेश प्रदान करने एवं सीट्स आवंटन तथा कक्षा संचालन की अनुमति के पश्चात ही प्रवेश सुनिश्चित किया जाएगा।
7. रिट याचिका संख्या–61859 / 2012 में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन में मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन / नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–522 / सत्तर–2–2013–2(650) / 2012, दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। सम्बद्धता आदेश निर्गत होने के पूर्व संस्था / महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार शिक्षक अनुमोदित कराते हुए नियुक्ति, अनुबन्ध आदि प्रपत्र विश्वविद्यालय को अनिवार्य रूप से दिनांक 31.07.2017 तक उपलब्ध कराया जायेगा।
8. संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली / अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करेगी।
9. संस्था द्वारा शासनादेश संख्या–421 / सत्तर–1–2015–16(20) / 2011 दिनांक 22 मई, 2015 के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी।
10. संस्था द्वारा अनिवार्य रूप से प्रबन्धक, प्राचार्य / प्राचार्या एवं पाठ्यक्रम के समस्त शिक्षकों की संयुक्त वीडियोग्राफी की सी०डी० व संयुक्त हस्ताक्षरित स्टिल फोटोग्राफ सहित दिनांक 31.07.2017 तक उपलब्ध कराया जाएगा, अन्यथा की स्थिति में सत्र 2017–18 से सम्बद्धता प्रदान किये जाने पर विचार नहीं किया जायेगा।

अतः आदेशानुसार अनुरोध करना है कि उक्तानुसार इंगित शर्तों / कमियों की पूर्ति (विशेषकर याचित पाठ्यक्रम हेतु मानकानुसार शिक्षक अनुमोदित होने सम्बन्धी प्रपत्र अनिवार्य है) सम्बन्धी प्रपत्र एवं विभिन्न शासनादेशों व विश्वविद्यालय अधिनियम / परिनियम में निहित मानकों / दिशा–निर्देशों के अनुपालन सम्बन्धी शपथ–पत्र विश्वविद्यालय को दिनांक 31.07.2017 तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि समयान्तर्गत सम्बद्धता आदेश निर्गत किये जाने की कार्यवाही की जा सके।

भवदीय

(राम चन्द अवस्थी)
कुलसचिव

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

प्रेषक,

संख्या–सम्ब0 313/सत्तर–6–2011–2(120)/2011

इन्द्रदेव पटेल,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय,
कानपुर।

उच्च शिक्षा अनुभाग–6

लखनऊ: दिनांक: 11 अक्टूबर, 2011

विषय:– महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब0/1511/2011, दिनांक 30.06.2011, पत्रांक–सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब0/1846/2011, दिनांक 22.07.2011 एवं पत्रांक–सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब0/2368/2011, दिनांक 29.08.2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उ0प्र0राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा–37(2) के परन्तुक के अधीन आर0पी0 स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कमालगंज, फर्रुखाबाद को परास्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत रसायन विज्ञान एवं जन्तु विज्ञान विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2011 से आगामी दो वर्षों हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है:–

1. महाविद्यालय निरीक्षण आख्या एवं प्रपत्र 'बी' में इंगित समस्त कमियों को पूरा कर लेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
2. महाविद्यालय द्वारा प्राध्यापकों की नियमानुसार नियुक्ति कर उनपर विश्वविद्यालय का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।
3. संस्था शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
4. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।

(2) महाविद्यालय उपरोक्त समस्त कमियां आगामी एक माह में पूर्ण कर लेगा।

भवदीय,

(इन्द्रदेव पटेल)
अनु सचिव।

संख्या–सम्ब0 313(1)/सत्तर–6–2011, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, कानपुर।
3. अपर सचिव, राज्य उच्च शिक्षा परिषद, छठां तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
4. प्रबन्धक, आर0पी0 स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कमालगंज, फर्रुखाबाद।
5. निजी सचिव, मंत्री, उच्च शिक्षा।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इन्द्रदेव पटेल)
अनु सचिव।